राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ/डीसी/लेखा/भवन/2012/ दिनांक :

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– कार्यालय भवन निर्माण पूर्ण होने की सूचना।
प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्र क्रमांक डीसी–1/लेखा/भवन/2010/75 दिनांक 7.10.2010

संदर्भित पत्र के साथ एन.आर.एच.एम. की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक F( ) Drug/PLAN/10-11/D-8843 दिनांक 20.09.2010 संलग्न कर आपको कार्यालय भवन के निर्माण कराये जाने की जानकारी दी गयी थी। साथ ही यह भी अवगत कराया गया था कि कार्यालय भवन के निर्माण की राशि का उपयोग निर्धारित समय में किया जाना सुनिश्चित करते हुये अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे।

एक वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आप द्वारा उक्त वांछित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है आपके कार्यालय भवन में बिजली–पानी के कनेक्शन एवं मासिक खर्चों की राशि का प्रावधान किये जाने सम्बन्धी पत्राचार अद्योहस्ताक्षरकर्ता से किया जा रहा है। इस प्रकरण के निस्तारण बाबत भवन निर्माण पूर्ण होने की तिथि से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत होना आवश्यक है।

अतः इस पत्र की प्राप्ति के तीन दिवस मे (लौटती डाक से) प्रेषित करावें ताकि बिजली–पानी के खर्चों की राशि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करायी जा सकें।

हस्ता०
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ/डीसी/लेखा/भवन/2012/59 दिनांक : 29-5-2012

प्रतिलिपि : प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

D. Ojha Ji Letter.doc